भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3310
सोमवार, 9 अगस्त, 2021/18 श्रावण, 1943 (शक)

राज्यों में बेरोजगार कलाकार

3310. श्री पी.पी. चौधरीः
श्री रंजीतसिन्हा हिंदूराव नाईक निम्बालकरः
श्री सुनील कुमार सिंहः
श्री संगम लाल गुप्ता

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने राजस्थान, झारखंड, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में ऐसे कलाकारों की संख्या की पहचान की है जो कोविड-19 के कारण बेरोजगार हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का राजस्थान, झारखंड, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के कलाकारों की सहायता के लिए प्रोत्साहन पैकेज शुरू करने का विचार है जिन्हें कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन के कारण वित्तीय नुकसान हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (घ): कोविड-19 महामारी ने कलाकारों सहित समाज के विभिन्न वर्गों को प्रभावित किया है। संस्कृति मंत्रालय विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वियन कर रहा है जैसे, कला अनुदान योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता, बौद्ध/तिब्बती कला और संस्कृति के विकास के लिए वित्तीय सहायता, सांस्कृतिक समारोह और उत्पादन अनुदान योजना, कला और संस्कृति के प्रोत्साहन के लिए छात्रवृत्ति एवं फैलोशिप योजना, राष्ट्रीय उपस्थिति सहित सांस्कृतिक संगठनों के लिए वित्तीय सहायता, हिमालय क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता, कलाकारों को पेंशन एवं चिकित्सीय सहायता योजना, सेवा भोज योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता तथा स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु प्रदर्शन कलाओं में सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता आदि।

राजस्थान, झारखंड, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश सहित जिन कलाकारों ने वित्तीय संकट का सामना किया है तथा जिन्होंने अपनी आजीविका का माध्यम खो दिया है, उन कलाकारों की मदद के लिए संस्कृति मंत्रालय ने यह सुनिश्चित किया है कि उपर्युक्त योजनाओं के अंतर्गत तेजी से तथा समय से अनुदान जारी हो।

*****